निर्णय न्यायालय श्री हिमांशु शर्मा आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा उद्घोषित

प्रकरण सं. – 114/12
दायरा दिनांक:- 16.8.12
निर्णय दिनांक:- 18.11.21

उनवान

1. रामकरण पुत्र शंकरलाल जाति बैरवा
2. सुशीला पत्नी रामकरण जाति बैरवा
3. दीपक कुमार पुत्र रामकरण जाति बैरवा
4. मुकेश पुत्र रामकरण जाति बैरवा
5. सागर पुत्र रामकरण नाबालिग वली पिता रामकरण बैरवा निवासी तलावड़ा रोड बालाजी नगर बारां

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र भैरूलाल जाति धाकड़
2. राजेन्द्र पुत्र भैरूलाल जाति धाकड़ निवासी धाकड़या पाड़ा बारां
3. सुरेन्द्र } पुत्रगण भैरूलाल जाति धाकड़ निवासी धाकड़या
4. गिरीराज } पाड़ा बारां

वाद पत्र धारा 183 RTA
निर्णय दिनांक 18.11.21

उपस्थित अभिभाषक :- 1. श्री हेमराज बैरवा - वादी
2. श्री योगेशकरण भटनागर - प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 RTA विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वादी गण के [illegible] की आराजी वाकै ग्राम कल्याणपुरा में ख.नं. 182 रकबा 2.[illegible] हे. ख.नं. 183 रकबा 0.36 हे. कुल किता 2 रकबा [illegible] खाते की आराजी ख.नं. 182 रकबा 2.34 हे. ख.नं. 183 रकबा 0.36 हे. की [illegible] दिनांक 2.7.2012 को नायब तहसीलदार के हल्के में गठित [illegible] द्वारा सीमाज्ञान

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:33:43 IST
Reason: SelfAttested

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with OKEN Scanner

किया गया जिसके मुताबिक आदेश तहसीलदार के द्वारा गठित टीम ने अपनी पैमाइश रिपोर्ट में ख.नं. 183 का कुछ हिस्सा ख.नं. 184 में सम्मिलित होना बताया। वादी गण ने प्रतिवादी गण से अपने खातेदारी की आराजी जो ख.नं. 184 के लगती है को छोड़ने बाबत कहा तो प्रतिवादी गण द्वारा लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हो गये है क्योंकि प्रतिवादी गण ने वादी गण की खाते की आराजी 183 रकबा 0.36 हे. में से रकबा 0.08 हे. पर कब्जा कर रखा है वादी गण द्वारा कहने पर प्रतिवादी गण वादी गण से लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा है। अतः वादी गण के खाते की आराजी ख.नं. 183 का नक्शा तिकोणा एवं लंबा ख.नं. 184 के सहारे जा रहा है जिस पर प्रतिवादी गण ने जबरन मेड़ डाल कर अतिक्रमण कर रखा है जब वादी गण ने अपने खाते की आराजी का सीमाज्ञान करवाने पर ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी गण द्वारा वादीगण का करीबन रकबा 0.8 हे. जमीन सम्मिलित कर रखी है वादी गण को प्रतिवादी गण से जो उक्त आराजी पर जबरन कब्जा कर रखा है छुड़वाया जावे एवं वादी गण को दिलाया जावे। वादी गण को उक्त ख.नं. में दुबारा स्कीम के तहत पाईप डालने एवं अपनी जमीन को सुधारने आदि में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी गण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा पेश(हुआ) वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कल्याणपुरा संवत 2066-69 खाता सं० 137, नकल मौका पर्चा कल्याणपुरा दिनांक 2.7.2012, नकल जमाबन्दी ग्राम कल्याणपुरा संवत 2066-69 खाता सं० 15 पेश किया गया। नकल नक्शा ट्रेस पेश किया गया।

वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी के जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई:-

तनकी नं.1 आया कि विवादित आराजी वाके ग्राम कल्याणपुरा के ख.नं.182 रकबा 2.34 हे., ख.नं. 183 रकबा 0.36 हे. कुल किता 2 रकबा 2.70 हे. वादी गण के खातेदारी में दर्ज [illegible] वादी

तनकी नं.2 आया कि [illegible] वादी गण द्वारा दिनांक 2.7.12 को नायब तहसीलदार के नेतृत्व में [illegible] गठित कर सीमाज्ञान करवाया गया

लगातार -3

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:33:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with OKEN Scanner

था पैमाईश टीम रिपोर्ट के अनुसार ख.नं. 183 का कुछ हिस्सा ख.नं. 184 में सम्मिलित होना बताया जो लगभग 0.08 हे. है जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा कर रखा है वादीगण उक्त रकबे से प्रतिवादीगण को बेदखल करवाने का अधिकारी है। **वादी**

तनकी नं. 3 आया कि आराजी ख.नं. 182 व 183 पूर्व खातेदार गब्बू धोबी के वारिसान से वर्ष 2003 में खरीदी है पूर्व खातेदार व उनके वारिसान का कब्जा नहीं रहा। वादीगण को भी विवादित भूमि पर भौतिक कब्जा नहीं संभलाया गया है वादीगण खाते से होने से प्रतिवादी क्र. 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही भूमि से बेदखल करने का अधिकारी नहीं है। **प्रतिवादी।**

तनकी नं. 4 आया कि विवादित आराजी पर पिता के समय से कब्जा चला आ रहा है जिसे लगभग 30 वर्ष हो चुके है 30 वर्ष का लगातार कब्जा काश्त होने से प्रतिवादी क्र. 1 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। **प्रतिवादी।**

तनकी नं. 5 : अनुतोष

बहस अभिभाषक वादी सुनी गयी बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कल्याणपुरा तह. बारां में स्थित है वादी द्वारा अपने खाते की भूमि के पैमाइश करवाई गई। सीमा ज्ञान तहसीलदार द्वारा टीम गठित कर की गयी सीमाज्ञान के समय भूमि प्रतिवादीगण के कब्जे में पाई गई फिर भी भूमि नहीं छोड़ी सीमा ज्ञान की रिपोर्ट संलग्न की है ख.नं. 183-184 में मिला हुआ है मेरे खाते की 0.08 हे. भूमि प्रतिवादी से छुड़वाई जाकर वादी को कब्जा दिलाया जावे। वादी की 0.08 हे. भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा है प्रतिवादी उक्त वादी की भूमि पर कब्जा कर रखा है प्रतिवादी को बेदखल कर वादी को कब्जा दिलाया जावे।

बहस के दौरान [illegible] प्रतिवादी का कथन है कि प्रतिवादी द्वारा [illegible] ख.नं. 182 व 183 की आराजी को पूर्व खातेदार गब्बू [illegible] वारिसान से खरीदी थी विवादित आराजीयात पर पूर्व खातेदार का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा वादी को भी विवादित भूमि पर कब्जा नहीं सम्भलाया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:33:43 IST
Reason: SelfAttested

लगातार-3

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with OKEN Scanner

निगत सहित खाते मे होने से भी वादीगण एवं प्रार्थी वादी छगन।
के कब्जे काश्त मे सम्वत 2098 से चली आ रही है अतः उस
वादी कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है प्रार्थी वादी
छगन। का विवादित आराजी पर उनके पिता व पिता मह के कब्जे
मे चली आ रही है भूमि पर कब्जा 30 वर्ष होने से स्वतः
ही खातेदार हो चुका है 1998 के भी पहले से ही ख.नं. 184
मे दर्ज रही है, भूमि पुराने नाम से दर्ज हुई है 12 वर्ष से
कब्जा है तो 183 RTA के कब्जा नहीं दिलाया जा सकता है।
वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावे)

मैंने अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादीगण के वाद का तनकी वार विवरण निम्नानुसार किया जाता है :-

__तनकी नं. 1__ इस तनकी को साबित करने का भार वादी को था। नकल जमाबंदी ग्राम कल्याणपुरा सम्वत 2066-69 खाता नं. 137 के अनुसार वादीगण के खातेदारी मे दर्ज होना पाया जाता है अतः यह तनकी वादी के पक्ष मे निर्णीत की जाती है।

__तनकी नं. 2__ इस तनकी को साबित करने का भार वादी को था। प्रस्तुत नकल मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी कल्याणपुरा दिनांक 2.7.2012 के अनुसार विवादित आराजी ख.नं. 183 का कुछ हिस्सा ख.नं. 184 मे सम्मिलित हो रहा होना बताया है आवेदक का कब्जा नहीं होना बताया है इससे यह साबित होता है कि ख.नं. 183 की सम्पूर्ण रकबे पर वादी का कब्जा काश्त नहीं है कुछ हिस्से पर प्रार्थी वादी का कब्जा काश्त होना साबित मौका रिपोर्ट से होता है वादी द्वारा धारा 183 RTA का दावा पेश किया है वादीगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति है तथा प्रार्थी वादी अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति है वादी को 183 RTA का दावा इस न्यायालय मे न करके धारा 183 B के वाद न्यायालय तहसीलदार बारां मे पेश करना चाहिये था। वादी [illegible] करने से विफल रहे हैं अतः यह तनकी वादी के विरुद्ध निर्णीत की जाती है।

__तनकी नं. 3__ इस तनकी [illegible] का भार प्रार्थी वादी को था वादी द्वारा विवादित भूमि पूर्व खातेदार नाथू धोबी से क्रय

लगातार - 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:33:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with OKEN Scanner

वारिसान से उस की भी। पूर्व खातेदार व उनके वारिसान का कब्जा नहीं रहा था। वादी को भी विवादित भूमि पर केवल मात्र कब्जा नहीं सम्भलाया है वादी, प्रार्थी वादी के कब्जे काश्त से चली आ रही भूमि से बेदखल करने का अधिकारी नहीं है। वादी द्वारा धारा 183 RTA का दावा पेश नहीं करके धारा 183 B से वाद पत्र पेश करना चाहिये था जिससे प्रार्थी वादी को विवादित भूमि से बेदखल किया जा सकता वादी द्वारा वाद पत्र गलत न्याया. से पेश किया है प्रार्थी वादी को SC/ST की भूमि पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है प्रार्थी वादी का कब्जा पटवारी की रिपोर्ट व स्वयं प्रार्थी वादी द्वारा कब्जा होना बताया है अतः यह तनकी प्रार्थी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है

तनकी 4 । इस तनकी को साबित करने का भार प्रार्थी वादी पर था। प्रार्थी वादी गण विवादित आराजी पर अपना कब्जा 30 वर्ष से अधिक समय से चला आ रहा होना बताया है 30 वर्ष से कब्जा काश्त होने से खातेदारी अधिकार प्राप्त होना बताया है परन्तु प्रार्थी वादी अपना कब्जा होना बताया जा रहा है तथा वादी भी प्रार्थी वादी का कब्जा काश्त होना बताया जा रहा है परन्तु प्रार्थी वादी (SC) की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है अतः यह तनकी प्रार्थी वादी के विरुद्ध निर्णित की जाती है

उपरोक्त विवेचन से यह ~~सि~~ तथ्य सामने आते हैं कि विवादित आराजी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के खातेदारी की होकर पर अन्य पिछड़ा ~~वर्ग~~ वर्ग धाकड़ का कब्जा काश्त चला आ रहा है वादी द्वारा वाद पत्र प्रार्थी वादी के विरुद्ध धारा 183 RTA में उपखण्ड अधिकारी बारां में प्रस्तुत किया है जबकि वादी को न्यायालय तहसीलदार बारां में धारा 183 B का वाद पत्र प्रस्तुत करना चाहिये था वादी गण का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित है

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद चलने योग्य एवं मेन्टेनेबल नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो निर्णय लिखाया जाकर [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:33:43 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
बारां
उपखण्ड अधिकारी बारां

8	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9	ब्याज (%)		
	योग		

Scanned with OKEN Scanner

...य उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

डिक्री

...या 114/12	धारा अंतर्गत 183 RTA	निर्णय दिनांक 18-11-21
...। श्री हिमांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बारां		
...परिथति - अभिभाषक वादी श्री हेमराज वैरवा -		अभिभाषक प्रतिवादी श्री योगेश्वर शिवहरे(?) सरकारी...

वाद शीर्षक

1. रामकरण पुत्र शंकरलाल जाति बैरवा
2. सुशीला पत्नी रामकरण 3. दीपक कुमार पुत्र रामकरण बैरवा
4. मुकेश पुत्र रामकरण जाति बैरवा
5. सागर पुत्र रामकरण नाबालिग वली पिता रामकरण बैरवा नि. तलावड़ा रोड बाकली...

बनाम

1. ओम प्रकाश पुत्र भैरूलाल जाति धाकड़
2. रविन्द्र पुत्र भैरूलाल जाति धाकड़ निवासी धाकड़खेड़ी पाड़ा बारां
3. दुलीचन्द पुत्र गण भैरूलाल जाति धाकड़ निवासी धाकड़खेड़ी
4. गिरिराज पाड़ा बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद लगातार पेशी एवं सुनवाई नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 18-11-21 को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी, बारां

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी बारां)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:33:43 IST
Reason: SelfAttested

क्र.सं.	व्यय मद	व्ययानुतोष(?) वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		
8	अन्य/क्षतिपूर्ति		

Scanned with OKEN Scanner